न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुश्री नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—31 / 2022 (2022 / 114) वादपत्र

अनवान

1. पुष्पादेवी पत्नि प्रकाशचन्द्र सुथार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. गौतम आत्मज डालु सुनार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुखी पत्नि हीरा सुनार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुरेश आत्मज डालु सुनार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. हगामी पत्नि डालु सुनार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. हस्तीमल आत्मज हीरा सुनार निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. अमरसिंह चारण— अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 16.05.2023

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 24.05.2022 के द्वारा वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है ग्राम सरेवड़ी पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 537 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 538 रकबा 0.18 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है0 भूमि में वादीया का 1 / 3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1 / 6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1 / 9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1 / 9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1 / 6 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 12.04[illegible] विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन [illegible] का प्रा[illegible] डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और [illegible] अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से [illegible]मत है। उपरोक्त विव[illegible]सार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.27 13:08:01 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बरः–31/2022 (2022/114) वादपत्र

आदेश

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सरेवड़ी पटवार हल्का भीटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 198 में प्रस्तावित आराजी संख्या 537/1 रकबा 0.1467 है0 भूमि पुष्पादेवी पत्नि प्रकाशचन्द्र सुथार सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 538 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 537/2 रकबा 0.1133 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2933 है0 भूमि गौतम पुत्र डालु सुनार 1/6, सुखी पत्नि हीरा सुनार 1/4, सुरेश पुत्र डालु सुनार 1/6, हगामी पत्नि डालु सुनार 1/6, हस्तीमल पुत्र हीरा सुनार 1/4 सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.27 13:08:01 IST
Reason: SelfAttested